संख्या- 58/2016-1061/नौ-5-16-479सा/2014

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5 लखनऊ दिनांक 28 मार्च, 2016

विषय:: वित्तीय वर्ष 2015-2016 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत सीवरेज योजनान्तर्गत नगर निगम गाजियाबाद के विभिन्न वार्डो में सीवर लाइन के विस्तार हेतु तृतीय किश्त की धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, (नागर) उ0प्र0 जल निगम लखनऊ के पत्र संख्या-58/नागर-2/033-410/16, दिनांक 14.03.2015 के संदर्भ में अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गाजियाबाद के विभिन्न वार्डो में सीवर लाइन विस्तार कार्य हेतु निर्धारित लागत रू0 2471.14 लाख के सापेक्ष वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति एवं उक्त के सापेक्ष शासनादेश संख्या-177/2015-909/नौ-5-2015-479सा/2014, दिनांक 12.06.2015 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू0 200.00 लाख एवं द्वितीय किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-200/2015-909/नौ-5-2015-479बजट/2014, दिनांक 09.07.2015 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 300.00 लाख का उपभोग होने के दृष्टिगत तृतीय किश्त के रूप में रू0 500.00 लाख (रू0 पांच करोड़ मात्र) की धनराशि संलग्न बीएम-9 के अनुसार अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ तथा सचिव/ विशेष कार्याधिकारी, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए /डिपोजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/ डाकघर/ पीएलए/डिपाजित खाते में नही रखी जायेगी ।

(3) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार, प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय ।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा मे नही किया जायेगा।

(5) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा ।

(6) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगत नियामों/प्रविधानों के अनुसार किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशो के अनुरूप किया जायेगा।

go finance mangal font

(8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।

(9) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।

(10) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चत किया जाय।

2- वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोनागत लेखाशीर्षक "2215- जल पूर्ति तथा सफाई-02-मल जल तथा सफाई-107-मल जल सेवायें-03-सीवरेज एवं जल निकासी हेतु व्यवस्था-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" से आहरित कर लेखाशीर्षक "2215-जल पूर्ति तथा सफाई-02-जल-मल तथा सफाई-191-नगर निगमों को सहायता-04-30प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के सीवरेज कार्यों हेतु-35-पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान"के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

संलग्नक' यथोक्त ।

भवदीय

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या- 58/2016-1061/नौ-5-16-479सा/2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), 30प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ/गाजियाबाद ।
3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 30प्र0 लखनऊ ।
6- नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद ।
7- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
8- मुख्य अभियंता (गा0क्षे0), 30प्र0 जल निगम, गाजियाबाद।
9- अधिशासी अभियन्ता, 30प्र0 जल निगम, गाजियाबाद ।
10- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं नियोजन अनुभाग- 3/4
11- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, 30प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव ।

go finance mangal font

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

अनुदान संख्या व नाम- अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग, वित्तीय वर्ष 2015-16

(धनराशि हजार रू0 में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण					वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवदेन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
"2215- जल पूर्ति तथा सफाई-02-मल जल तथा सफाई-107-मल जल सेवायें-03-सीवरेज एवं जल निकासी हेतु व्यवस्था-35-पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान"	750000	50000	50000	50000	700000
योग	750000	50000	50000	50000	700000

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण					वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
"2215-जल पूर्ति तथा सफाई-02-मल जल तथा सफाई-191-नगर निगमों को सहायता-04-30प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के सीवरेज कार्यो हेतु-35-पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान"	150000	200000	50000	50000	200000
योग	150000	200000	50000	50000	200000

स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है-:

(1) परिपक्व प्रस्ताव उपलब्ध न होने के कारण बचतें हो रही है।

(2) स्तम्भ 8-में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ 9-में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है -:
नगर निगम के माइनर हेड में सीवरेज कार्य हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध न होने के कारण परिपक्व प्रस्ताव के सापेक्ष अधिक धनराशि की आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ.प्र. बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर0ई0संख्या- 642-ई-8-719/दस-2016, दिनांक 22 मार्च, 2016

सेवा में, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव,
नगर विकास विभाग।

(सुभाष चन्द्र)
अनु सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या- 1061 (1)/नौ-5-2016-189बजट/2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ। / आगरा।
3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय,30प्र0 लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6- महा प्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, आगरा ।
7- मुख्य अभियन्ता (आ0 क्षे0), 30प्र0 जल निगम, आगरा।
8- नगर आयुक्त,नगर निगम, आगरा ।
7- अधिशासी अभियंता, 30प्र0 जल निगम, आगरा।
9- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं नियोजन अनुभाग- 3/4
10- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, 30प्र0 शासन।
11- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-28/03/2016

प्रेषण संख्या:- 58

आवंटन आदेश संख्या:- 001-58-2016-1061-9-5-16-479Sa-2014

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)

02 - मल-जल तथा सफाई

191 - नगर निगमों को सहायता

04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय

01 - नगरीय निकायों को सीवरेज कार्यों हेतु

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000000 701980000	50000000 701980000
	योग	वर्तमान प्रगामी	50000000 701980000	50000000 701980000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पाँच करोड़

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सत्तर करोड़ उनीस लाख अस्सी हजार

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी